

Order Sheet [Contd.]

Case No. 2710 of 2022

Date of
Order or
Proceeding

Order or Proceeding With Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties or
Pleaders
where
necessary

2/23

राज्य की ओर ओरसे कोई नहीं।

प्राथी समूह उपस्थित

अभियुक्त/गण सहित श्री कुलदेव नायडू अधिवक्ता ने उपस्थित होकर आवेदन पत्र वास्ते प्रार्थी को अभियुक्त/गण के साथ राजीनामा की अनुमति प्रदान करने बाबत पेश किया।

प्रार्थी की सहचान श्री कुलुभ नोम अधिवक्ता द्वारा की गई।

प्रकरण अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अभियुक्त/गण के विरुद्ध धारा 147, 148, 294, 323, 506 427 भा.द.सं. का आरोप है। अपराध के विचार के लिए यह प्रकरण पेश किया गया।

प्रार्थी/ छात्री की चोटों का मिलान चिकित्सीय रिपोर्ट से की गई।

अतः प्रार्थ/ जाखी को अभियुक्त /गण के साथ राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसी समय उभयपक्षों ने एक दूसरा आवेदन वास्ते आपस में राजीनमा हो जाने का समझौता पत्र पेश किया। जिसमें उभय पक्षों ने बताया है कि वे लोग बिना किसी जोर दबाव व हिंसा प्रलोभन के स्वेच्छापूर्वक राजीनमा करना स्वीकार किया। अतः प्रस्तुत समझौतापत्र स्वीकार किया जाता है और

अभियुक्त / गणको धारा 147, 148, 294, 323, 506, 427

भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त/गण के जमानत बंधपत्र को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरणमें जप्तशुदा सम्पत्ति का परिणाम हर्ज कर समयावधि के भीतर दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

25/2-19

~~Handwritten signature~~

20/05/2022

२८०

72921

२५॥॥